International Journal of Applied and Universal Research E- ISSN No: 2395-0269
Volume V, Issue IV, December 2018 Available online at: www.ijaur.com

म.प्र. में लिंगानुपात एवं शिशु लिंगानुपात की स्थिति

डॉ0 नीलेश प्रताप सिंह
प्राचार्य जे. के. महाविद्यालय, गुढ़, जिला–रीवा (म.प्र.)

सारांश– म.प्र. में शिशु लिंगानुपात जो 1991 में प्रति हजार बालकों पर 941 बालिकाओं का था, वह गिरकर 2001 की जनगणना में 932 बालिकाओं का हो गया। 2011 की जनगणना का अंतरिम प्रतिवेदन हमारे प्रदेश के लिए और चिंताजनक है, क्योंकि प्रति हजार बालकों पर बालिकाओं की संख्या और कम होकर 912 हो गई है। शिशु लिंगानुपात में गिरता हुआ रूझान विशेषकर चिंता का कारण है, क्योंकि यह लिंग परीक्षण एवं बेटियों को लुप्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो कि प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण के अनैतिक उपयोग का परिणाम है तथा हाल के वर्षों में कन्याओं के प्रति सोच एवं वर्ताव को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण संकेतक है।

मुख्य शब्द – जनगणना, लिंग परीक्षण, लिंगानुपात एवं शिशु लिंगानुपात ।

प्रस्तावना –

कन्या भ्रूण हत्या एवं कन्या शिशु हत्या भारत की प्रमुख सामाजिक समस्याओं में से एक है। यह लैंगिक असमानता एवं लैंगिक विभेदीकरण की देन है। यह समस्या नारी अस्तित्व के लिए खतरा तो है ही, साथ ही साथ संपूर्ण मानव समाज को रेगिस्तान की तरफ ढकेल रहा है। इस कन्या भ्रूण हत्या के कारण केवल भारत का शिशु लिंगानुपात गिर रहा है, बल्कि संपूर्ण म.प्र. का भी शिशु लिंगानुपात गिर रहा है।

म.प्र. का भिण्ड जिला कन्या हत्या में पूरे भारत में पहले नम्बर पर है। इस जिले में लिंगानुपात 838 है। यानी एक हजार लड़कों की तुलना में 162 लड़कियों की कमी है। इसके बाद इसी के पड़ोसी जिले मुरैना का नम्बर आता है। यहाँ लिंगानुपात 939 है। क्षेत्र में बेटियों की संख्या कम होने के कारण सामाजिक विषमता और पुरातन रूढ़िया साफ दिखाई देती है।

समाजशास्त्रियों के अनुसार जिस घर में स्त्री–पुरूष अनुपात समान रहता है, वहाँ शांति, समरसता और सद्भाव ज्यादा प्रभावी दिखाई देता है। भिण्ड एवं मुरैना जिले में कतिपय कुप्रथाओं के चलते बेटियों को जन्म के तत्काल बाद मार डाला जाता है। किसी के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसकी जान ली जाती है, तो किसी को तंबाकू घुसाकर मौत की नींद सुला दिया जाता है। गाँवों में अभी लिंग परीक्षण तकनीक नहीं पहुंची है, इसलिए बेटा है या बेटी, इसका पता लगाने के लिए उसके जन्म तक इंतजार किया जाता है। लेकिन शहरों में गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कर कन्या भ्रूण को गर्भपात के जरिए नष्ट करने के मामले भी खूब बढ़ रहे हैं।

देखा गया है कि बेटों को सक्षम बनाने के लिए माता–पिता पूरी ताकत लगा देते हैं, जबकि बेटी को यह कहकर आजादी नहीं दी जाती है कि उसे तो पराए घर जाना है। बेटी की परवरिश के पीछे यही मानसिकता काम करती है। इसी सोच और मानसिकता को बदलने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में बेटी बचाओ अभियान शुरू किया गया है। म.प्र. सरकार के बेटी बचाओ अभियान की विधिवत शुरूआत नवरात्रि की नवमीं के दिन बुधवार 5 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निवास से हुई। राज्य सरकार ने इस अभियान के तहत एक कार्ययोजना तैयार की है, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बेटियों के सामाजिक सम्मान को बढ़ाने के लिए बेटी दिवस, बेटियों को गोद लेने वाले अभिभावकों और विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त बालिकाओं का सार्वजनिक सम्मान, दहेज मॉगने वाले परिवारों का सामाजिक बहिष्कार के प्रावधान किए गए हैं। इन प्रयासों में घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रावधान और बेटा–बेटी के जन्म में पिता की भूमिका के संबंध में जन जागृति के प्रयास शामिल हैं। अभियान के विभिन्न समुदाओं, धर्म गुरूओं और जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। कन्या भ्रूण हत्या की सूचना देने वाले को एक लाख रूपये का इनाम, ऑनलाइन शिकायत प्राप्त करने, प्रकरणों का सुनिश्चित समय–सीमा में निराकरण, सोनोग्राफी केन्द्र की मोनेटरिंग और शिकायत के लिए टोल–फ्री फोन नम्बर की व्यवस्था की गई है। बेटी बचाओ अभियान के तहत सकारात्मक प्रयासों के साथ ही दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा रही है। लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम का उल्लंघन करने पर दो चिकित्सकों का राज्य चिकित्सा परिषद ने पंजीयन निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही सिर्फ बेटियों वाले परिवार को शिक्षा संबंधी सुविधाएँ, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 55 वर्ष की उम्र के पश्चात पेंशन और व्यवसाय प्रशिक्षण तथा पत्नी के साथ संयुक्त रजिस्ट्री करने पर आवास की स्टाम्प ड्यूटी रियायत आदि के कदम भी उठाये गये हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दतिया में बेटी बचाओं अभियान की जन जागृति यात्रा के शुभारंभ अवसर पर कहा कि बिना किसी भेदभाव के बेटा–बेटी की समान परिवरिश होगी, तभी देश–प्रदेश की तरक्की होगी, उन्होंने कहा कि सभी धर्म ग्रंथों में स्त्री–पुरूष की समानता की बात कही गई है और भ्रूण हत्या को जघन्य पाप माना गया है। वेदों में कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, वहीं देवताओं का वास होता है। इसी तरह कुरान में भी स्त्री–पुरषों को एक–दूसरे का पूरक माना गया है तथा स्त्री–पुरूष के बीच भेदभाव को अल्लाह ने ठीक नहीं माना है। बाइबिल में भी भ्रूण हत्या को पाप माना गया है।

उन्होंने कहा कि जब बेटा–बेटी दोनों पैदा होंगे तभी सृष्टि चलेगी। इसमें सभी राजनीतिक दलों, धर्मगुरूओं, सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों से सहयोग की अपील की गई है, ताकि इसे राष्ट्रीय अभियान बनाया जा सके।

विश्लेषण – प्रदेश में चल रहे बेटी बचाओ अभियान को स्वास्थ्य विभाग के ऑकड़े झटका देने वाले हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में तीन माह के भ्रूण का गर्भपात कराने के मामले सबसे ज्यादा है। ये सब जानते हैं कि तीन माह के गर्भ से ही लिंग का पता चलता है। इससे यह आशंका बढ़ गई है कि लिंग परीक्षण के बाद इस तरह के गर्भपात कराए गए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों से गर्भपात के जो आंकड़े जुटाए हैं, वे चिंता में डालने वाले हैं। वर्ष 2010–11 में हुए कुल 42 हजार 112 गर्भपात के मामलों में से सबसे ज्यादा 6048 मामले भोपाल के खाते में दर्ज हैं। वहीं पिछले साल का यह रिकार्ड इस साल चालू वर्ष के छह माह में अप्रैल से सिंतबर तक भोपाल में 6 हजार 792 गर्भपात होने से टूट गया है।

सारणी क्रमांक 1. वर्ष 2010 अप्रैल से मार्च 2011 तक हुए गर्भपात

शहर	12 सप्ताह बाद	कुल गर्भपाल
भोपाल	509	6048
ग्वालियर	195	1157
अलीराजपुर	178	386
धार	145	2767
जबलपुर	114	1878
रायसेन	111	882
छिंदवाड़ा	107	1234
बालाघाट	103	775
बड़वानी	92	851
सतना	97	1015
इंदौर	31	1585
खरगौन	75	708
खंडवा	85	849

स्त्रोत– दैनिक भास्कर समाचार पत्र, 06.12.2011

इस माह में पूरे प्रदेश में कुल 25 हजार 508 गर्भपात हुए है। प्रदेश में हुए कुल गर्भपत में से एक चौथाई भोपाल में हुए हैं। ये चौंकाने वाले आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के हैं, जो रिकार्ड में दर्ज है, परन्तु रिकार्ड से हटकर चोरी–छुपे हो रहे गर्भपात भी बड़े पैमाने पर होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

गर्भपात के मामले भोपाल के अलावा झाबुआ, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, सागर, सतना, सीहोर आदि जिलों में ज्यादा सामने आ रहे हैं। आम तौर पर 12 सप्ताह के बाद गर्भपात कराने में गर्भवती महिला के जीवन को संकट ज्यादा होता है इसलिए दो डॉक्टरों की उपस्थिति में ही गर्भपात किए जाने का नियम भी है। इसके अलावा 12 सप्ताह के बाद गर्भपात तभी किए जाने का नियम है जबकि शिशु का सामान्य विकास न हुआ हो व जन्म के बाद उसके जीवित बचने की संभावना न हो। भोपाल के अलावा ग्वालियर, अलीराजपुर, धार, रायसेन, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बड़वानी, खंडवा, सतना, खरगौन, जबलपुर, इंदौर में भी 12 सप्ताह के बाद के गर्भपात ज्यादा हो रहे हैं।

सारणी क्रमांक 2. वर्ष 2011–12 अप्रैल से सितम्बर 6 माह तक हुए गर्भपात

शहर	12 सप्ताह बाद	कुल गर्भपाल
भोपाल	407	6792
इंदौर	6	1510
सीहोर	133	762
गुना	102	652
ग्वालियर	33	841
धार	95	1308
जबलपुर	53	659
बड़वानी	71	552
सतना	97	1015
खरगौन	33	500
खंडवा	37	420
सागर	78	645
सीधी	71	1316

स्त्रोत– दैनिक भास्कर, समाचार पत्र, 06.12.2011

बेटी बचाओ अभियान शुरू करने वाले देश के पहले राज्य मध्यप्रदेश में ही 2004 से अक्टूबर 2011 के बीच 35395 बेटियाँ गायब हो चुकी हैं। यहाँ साल दर साल बेटियों की गुमशुदगी का ग्राफ बढ़ा है। हालांकि इनमें से कई लड़कियों को पुलिस ने ढूंढ निकाला, लेकिन 6284 का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। यही नहीं, इन सात सालों में प्रदेश के विभिन्न जिलों से 30999 लड़के भी गायब हुए हैं। इन सभी आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश में मानव तस्करी जोरों पर है।

म.प्र. सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए बेटी बचाओ अभियान तो शुरू कर दिया हैं, लेकिन इस दुनिया में आ चुकी बेटियों को बचाने के प्रयास ना काफी साबित हो रहे हैं। वर्ष 2004 से अक्टूबर 2011 के बीच गायब हो चुके 66 हजार 394 बालक–बालिकाओं में से अब तक 9899 लापता हैं। गुमशुदगी के यह आंकड़े तो रिकार्डेड हैं, लेकिन ऐसी सैकड़ों बालिकाएं हैं, जिनका कोई रिकार्ड नहीं है। उनके बारे में न तो पुलिस में कोई शिकायत हुई और न ही उनकी गुशुदगी के बारे में जानकारी लगी।

गृह विभाग के अनुसार उज्जैन संभाग के रतलाम, मंदसौर, नीमच आदि जिलों में महिलाओं की खरीद फरोख्त के प्रकरण सामने आए हैं। रतलाम में पिछले 5 साल में 1641 महिलाएं गायब हुई है, जिनमें से 270 का कोई पता नहीं चल पाया हैं। मंदसौर से पांच साल में 928 महिलाएँ गायब हुई, जिनमें से 149 अब भी नहीं मिली। वहीं 178 महिलाएँ नीमच से गायब हैं। यहाँ पांच साल में 706 महिलाएँ गायब हो चुकी है।

म.प्र. में लिंगानुपात में सुधार की प्रवृत्ति देखने को मिली है। यह सुधार न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला है, बल्कि शहरी क्षेत्र में भी देखने को मिला है। म.प्र. में लिंगानुपात 1991 में 912 था, वह बढ़कर 2001 व 2011 में क्रमशः 919 एवं 930 हो गया। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 1991 में 921, 2001 में 927 था, जो 2011 में बढ़कर 936 हो गया। शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात 1991 में 887, 2001 में 898 था, जो बढ़कर 2011 में 916 हो गया।

सारणी क्रमांक 3. म.प्र. में लिंगानुपात (वर्ष 1991 से 2011 तक)

जनगणना वर्ष	कुल	ग्रामीण	शहर
1991	912	921	887
2001	919	927	898
2011	930	936	916

स्त्रात –जनगणना, 1991, 2001 एवं 2011

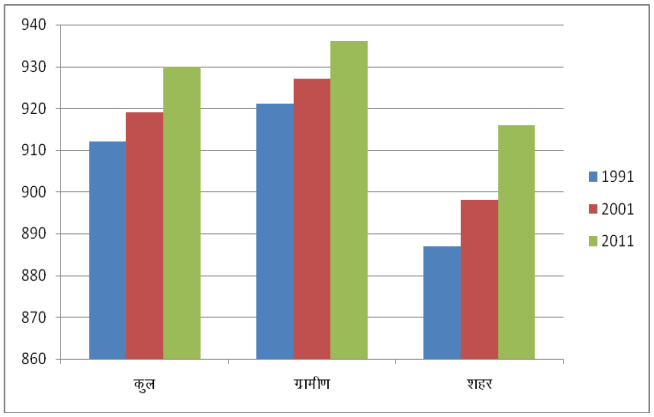

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि म.प्र. में ग्रामीण, शहरी एवं कुल लिंगानुपात में सुधार हुआ है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अभी भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। अतः म.प्र. में शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात अच्छा रहा है।

निष्कर्ष –

अतः यह जानने का प्रयास किया गया कि म.प्र. में लिंगानुपात में महानगरों की स्थिति कैसी है? अध्ययन से ज्ञात हुआ कि महानगरों में शिक्षा, स्वास्थ्य व जागरूकता के होते हुए भी लिंगानुपात की खराब स्थिति है। मध्यप्रदेश में जहाँ एक ओर शहरी क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात में कमी आ रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र का भी शिशु लिंगानुपात लगातार गिर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र का शिशु लिंगानुपात 1991 में 944 था, जो घटकर 2001 में 939 तथा 2011 में 917 हो गया। वहीं शहरी क्षेत्र का शिशु लिंगानुपात 1991 में 931 था, जो घटकर 2001 में 907 तथा 2011 में 895 हो गया।

संदर्भ –

1. जनगणना 2001.
2. शर्मा राकेश, 'बेटे के लोरिया और बेटी के लिए दुबाए', आलेख, अक्षय भारत समाचार पत्र (ऑनलाइन) 26 मई 2011.
3. 'बेटी बचाओ अभियान में शामिल हो मनमोहन;, म.प्र. के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे पत्र का अंश, स्टार समाचार, भोपाल 08 अक्टूबर 2011.
4. 'बिटिया रहेगी तो दुनिया बचेगी', मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वक्तव्य के अंश, रोजगार और निर्माणा, भोपाल, 17.10.2011 से 23.10.11, पृ. 1
5. 'गर्भपात के ज्यादा मामले भोपाल में' आलेख, भास्कर ब्यूरो, भोपाल दैनिक भास्कर समाचार पत्र, 06.12.2011
6. गायब हुई 35 हजार बेटियाँ ' आलेख', दैनिक भास्कर समाचार पत्र, भोपाल, शनिवार, 03 सितम्बर 2011